न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 15/2018

भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त, (खाद्य संरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. अजय कुमार चौधरी पुत्र स्व0 श्री बी.के.चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता, टीमलीडर एवं नोमिनी, मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेजज प्रा.लि., 39/40, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा, जयपुर।
2. मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेजज प्रा.लि., 39/40, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा, जयपुर।
3. महेशभाई एच. कोरे, नोमिनी, मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेजज प्रा.लि., ग्राम गोबलेज, तालूका मटर, जिला–खेडा, गुजरात।
4. मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेजज प्रा.लि., ग्राम गोबलेज, तालूका मटर, जिला–खेडा, गुजरात।

अभियुक्तगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 2006 की धारा 3 (1)(zf)(c)(1) सपठित एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के विनियम 2,2,2,(5)(ii) तथा 26 (2)(ii))

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार उपस्थित ।
2. अभियुक्तगण की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर, अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.09.2019

यह परिवाद भानू प्रताप सिंह गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त, (खाद्य संरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 09.05.2013 को मैसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेजज प्रा.लि., 39/40, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, कालाडेरा, जयपुर के खाद्य कारोबारकर्ता, टीमलीडर एवं नोमिनी अभियुक्त अजय कुमार चौधरी की उपस्थिति में संस्थान में निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु फर्श पर Wooden Peelets पर 1200 केस (प्रत्येक केस में 1.2 लीटर की 12 पैट बोतल) Fruit Drink (Maaza) रखी थी। इनमें मिलावट एवं मिथ्या छाप का शक होने पर इसमें से 1.2 लीटर की 4 पैट बोतल Fruit Drink (Maaza) वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर जोन, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ईई–310 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 1.2 लीटर की 4 पैट बोतल Fruit Drink (Maaza) की कीमत रूपयें शून्य की रसीद प्राप्त

Scanned by CamScanner

की। मौके पर उपस्थित खाद्य कारोबारकर्ता, टीमलीडर एवं नोमिनी अभियुक्त अजय कुमार चौधरी से केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 1.2 लीटर की 4 पैट बोतल Fruit Drink (Maaza) की खाद्य विश्लेषक से जांच कराये जाने पर मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा अमानक मिथ्याछाप वाली Fruit Drink (Maaza) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 10.02.2015 को जवाब/स्पष्टीकरण पेश किया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थना पत्र एवं विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस कथन किया कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट दिनांकित 13.06.2013 के आधार पर धारा 3 (1)(zf)(c)(i) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में वर्णित लेबल डिक्लेरेशन मिसब्राण्ड बाबत् विनियम 2,2,2,(5)(ii) एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम, 2011 के अनुरूप नमूने पर सूचनांकित छपे हुए लेबल पर नमूने की वस्तु में आर्टिफीशियल फ्लेवर का ''कॉमन नेम'' नही छापने की उल्लंघनता दर्शाकर धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में वर्णित शास्ती लगाए जाने के लिए पेश किया गया है। आरोपीगण की ओर से दिनांक 10.02.2015 को अपना जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें उठाई गई प्रारम्भिंक विधिक आपत्तियों का निर्णय नही हुआ है। प्रार्थना पत्र के जरिये यह भी अतिरिक्त कानूनी आपत्ति उठाई जा रही है कि नमूने के माजा नामक पेय की विश्लेषण करने वाली प्रयोगशाला ''State Central Public Health Laboratory Jaipur (Rajasthan)'' द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट दिनांकित 13.06.2013 अनाधिकृत है क्योंकि उक्त प्रयोगशाला बमुताबिक प्रावधान धारा 3(1)(p) FSS Act, 2006 "National Accreditation Board For Testing and Calibration Laboratories" से मान्यता प्राप्त एवं लाइसैन्सड् लेबोरेट्री नही है तथा न ही NABL Accreditation मापदण्डों के अनुरूप अपग्रेड है तथा न ही इस लेबोरेट्री FSS Act, 2006 के प्रयोजनार्थ NABL Accreditation लेबोरेट्री के तौर पर धारा 43(1) FSS Act, 2006 के तहत राजपत्र में नोटीफाइ किया गया है, जबकि जिस पत्र दिनांकित 05.07.2011 के आधार पर उक्त लेबोरेट्री को अधिकृत कहा जा रहा है

Scanned by CamScanner

उस पत्र की सम्पूर्ण व्याख्या माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा निर्णित प्रकरण नैस्ले इण्डिया लि0 बनाम दि फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटि ऑफ इण्डिया, निर्णय दिनांक 13.08.2015 में की गई है जिसका आशय यह है कि जब तक प्रयोगशालाओं के लिए NABL Accreditation का गजट नोटिफिकेशन नही निकाला जाता है तब तक PFA Act, 1954 के तहत कार्यरत प्रयोगशालाएं ही नमूनें की जांच करती रहेगी। तत्पश्चात् वर्ष 2012 में बहुत सी ऐसी National Accredited लेबोरेट्रीज को FSSAI द्वारा गजट में नोटिफाई किया गया है। जिसके अनुरूप पत्र दिनांकित 05.07.2011 में पारित आदेश निरर्थक होकर समाप्त हो चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में सेम्पल दिनांक 09.05.2013 को लिया गया था एवं जयपुर की उक्त लेबोरेट्री द्वारा सेम्पल की जांच कर रिपोर्ट 13.06.2013 को जारी की गई है जबकि जयपुर की उक्त लेबोरेट्री को FSSAI द्वारा कभी भी धारा 43(1) FSS Act, 2006 के तहत नोटिफाई ही नही किया गया है। इसलिए उक्त अनाधिकृत लेबोरेट्री द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर न्याय निर्णयन करना विधि सम्मत नही है। प्रकरण में शुद्धता संबंधी कोई विवाद नही है बल्कि नमूने के पेय माजा की बोतल पर प्रिन्टेड लेबल डिक्लेरेशन के संबंध में विवाद है। प्रकरण में आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटांस का कॉमन लेबल पर नही छापा गया है। जो गम्भीर प्रकृति नही है। यह तकनिकी प्रकृति का आरोप है। इससे उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नही है। अगंभीर प्रकृति के प्रावधान की उल्लघंनता को दुरस्त करवाने हेतु धारा 32 FSSA, 2006 के तहत Rectification/Improvment नोटिस देने का प्रावधान है। किन्तु उन्हे ऐसा कोई नोटिस नही दिया गया ना ही ऐसा कोई अवसर दिया गया। खाद्य विश्लेषक को नमूना जांच रिपोर्ट में लेबल डिक्लरेशन संबंधी आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नही है। अभियुक्तगणों को बिना धारा 32 का नोटिस दिये एवं Rectification/Improvment का अवसर दिये बिना परिवाद प्रस्तुत करना विधि अनुरूप नही है। अतः प्रकरण प्रिमैच्योर, सारहीन, अवैध, न्यायिक प्रक्रिया के दुरूप्रयोग से संचालित माना जा कर निरस्त किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु रखी गई फूट ड्रिकं (माजा) में मिलावट एवं मिथ्या छाप का शक होने पर चार पैट बोतल 1.2 लीटर की नमूना जांच हेतु ली जा कर खाद्य विश्लेषक को जांच हेतु भिजवाई गई। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2013 के अनुसार फूट ड्रिकं (माजा) को मिथ्या छाप होना पाया गया है। अतः खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगणों पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावें।

Scanned by CamScanner

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1)(zf)(c)(1) सपठित एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के विनियम 2,2,2,(5)(ii) तथा 26 (2)(ii) का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक II/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, की प्रति।
2. प्रार्थी को खाद्य आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन. स्वा.), राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 10.08.2011 कि अनुसार राजस्थान राज्य आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर नोमिनी एवं टीमलीडर अजय कुमार चौधरी के हस्ताक्षर है।
4. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्ररूप 6 की प्रति एवं प्ररूप 6 की प्रतियां प्राप्ति की रसीद की प्रतियां।
5. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर नोमिनी एवं टीमलीडर अजय कुमार चौधरी के हस्ताक्षर है।
6. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2013 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अमानक होना अंकित है।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों को ससम्मान अवलोकन किया। हिन्दुस्तान कोका कोला बेरवेरज एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पेय पदार्थ निर्माता कम्पनी है। उक्त कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को बोतल पर चिपके हुए लेबल में मिथ्याछाप कर उपभोक्ताओं को पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करा कर गंभीर अवमानना की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई विधानिक आधार नही है। ऐसी स्थिति में खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्ररूप–बी दिनांक 13.06.2013 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां सराहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है। अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप

Scanned by CamScanner

(Misbrand) युक्त फ्रूट ड्रिंक (माजा) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1)(zf)(c)(1) सपठित एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के विनियम 2,2,2,(5)(ii) तथा 26 (2)(ii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। चूंकि उत्पादक अप्रार्थी सं0 2 है एवं माजा की बोतल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1)(zf)(c)(1) सपठित एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के विनियम 2,2,2,(5)(ii) तथा 26 (2)(ii) के तहत पालना करने की जिम्मेदारी उत्पादक की ही है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये अभियुक्त सं0 2 पर उक्तानुसार किये गये नियमों के उल्लघंन करने के कृत्य के लिये राशि रूपये 60,000 (अक्षरे रूपये साठ हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 30.09.2019 को सुनाया गया।

30.9.19

(डॉ. अशोक कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर

Scanned by CamScanner